खुली दलील है। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार समाप्त किया जाए।

☆ उर्दू को देश की दूसरी आधिकारिक भाषा माना जाए।

☆ जिस तरह SC और ST कल्याण के लिए राष्ट्रीय निदेशालय स्थापित हैं उसी नहज पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक सशक्त निदेशालय (Directorate for Minorities) स्थापित किया जाए।

☆ अवक़ाफ़ संपत्ति की रक्षा के लिए कानून और सशक्त केंद्रीय वक्फ बोर्ड (Central Waqf Board) बनाया जाए। वक़्फ़ की संपत्तियों से केंद्र और राज्य सरकारों और उनके उप संस्थानों के अवैध कब्जे तुरंत समाप्त किए जाएं।

☆ पुरातत्व विभाग की देखरेख वाली मस्जिदों में नमाजें पढ़ने पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए।

( 3 ) ☆ सच्चर कमेटी रिपोर्ट की प्रस्तावित ''सूची विविधता'' Diversity Index Concept को सरकारी और निजी क्षेत्रों में लागू किया जाए ताकि SC और ST, मुसलमानों और अन्य वंचित वर्गों को बेहतर अवसर मिल सके। सभी सरकारी सहायता और अनूदान (Grants) इस Diversity Index Concept पर आधारित हों।

☆ समान अवसर आयोग (Equal Opportunity Commission) स्थापित किया जाए जिसके द्वारा मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार प्राप्त हों।

☆ महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित महमूदुर्रहमान स्टडी ग्रुप की सिफारिशों को तुरंत मंजूर किया जाए।



( 4 ) ☆ MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act) के ग्रामीण रोजगार क़ानून में संषोधन द्वारा वर्ष में 100 दिन के बजाय पूरे 365 दिन Minimum Vages Act ( न्यूनतम मजदूरी कानून ) के तहत रोजगार गारंटी हो।

☆ इसी प्रकार एक समान कानून नगरों में रहने वाले ग़रीबों के लिए बनाया जाए।

☆ सामाजिक कल्याण के सिद्धांत CSR ( Corporate Social Responsibility, Companies Act में संषोधन करके यानी कंपनियों पर सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी ) के तहत निजी क्षेत्र के लाभ से प्राप्त होने वाली आय 2% के बजाय 3% हो और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए।

☆ असंगठित मजदूरों (Unorganized Sector) विशेषकर Looms पर काम करने वालों की समस्याओं को हल करने और उनके कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जाए।

☆ कपड़ा उद्योग की समस्याओं जैसे सूती धागे पर दलालों का एकाधिकार, महंगी बिजली आदि समस्याओं को हल किया जाए। सूती धागे के बजाय सूती कपड़ों को निर्यात (Export) किया जाए।

( 5 ) ☆ राश्ट्रीय सलाहकार परिषद की ओर से पेश हुए Communal Violence [Prevention Control and Rehabilitation of Victims] Bill सांप्रदायिक दंगों